



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12042021-226528  
CG-DL-E-12042021-226528

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 125]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 12, 2021/चैत्र 22, 1943

No. 125]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 12, 2021/CHAITRA 22, 1943

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 9 अप्रैल, 2021

सं. 53 / 2015-2020

विषय: वित्तीय वर्ष 2019-20 में किए गए निर्यात हेतु एमईआईएस आवेदनों हेतु विलंब कटौती।

फा. सं. 01/61/180/288/एएम20/पीसी-3 (भाग 1)—विदेश व्यापार नीति (2015-2020) के पैरा 1.03 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक विदेश व्यापार एतद्वारा प्रक्रिया पुस्तक, 2015-20 के पैरा 3.15(क) के अंत में निम्नलिखित को शामिल करते हैं:

“इसके अलावा, दिनांक 01.04.2019 से 31.03.2020 तक की अनुमत निर्यात तिथि वाले शिपिंग बिलों के लिए एमईआईएस आवेदनों को 30.09.2021 तक बिना किसी विलंब कटौती के प्रस्तुत किया जा सकता है। तथापि, 30.09.2021 के बाद प्रस्तुत किए जाने वाले ऐसे किसी आवेदन के मामले में, आवेदनों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि उपर्युक्त पैरा 3.15(क) (i) के अनुसार होगी और तदनुसार विलंब कटौती लागू होगी।”

2. इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव : दिनांक 01.04.2019 से 31.03.2020 तक की अवधि के शिपिंग बिल (बिलों) हेतु विलंब कटौती के प्रावधानों में छूट दी गई है ताकि यदि ऐसे शिपिंग बिल (बिलों) को एमईआईएस दावे हेतु दिनांक 30.09.2021 को अथवा इससे पूर्व प्रस्तुत किया जाता है तो कोई विलंब कटौती लागू नहीं होगी।

अमित यादव, महानिदेशक, विदेश व्यापार  
एवं पदेन अपर सचिव

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY****(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)****PUBLIC NOTICE**

New Delhi, the 9th April 2021

**No. 53 /2015-2020****Subject : Late cut for MEIS applications for exports made in the Financial Year 2019-20**

**F. No. 01/61/180/288/AM20/PC-3 (Part 1).**—In exercise of powers conferred under paragraph 1.03 of the Foreign Trade Policy (2015-2020), the Director General of Foreign Trade hereby inserts in the Handbook of Procedures, 2015-20 at the end of para 3.15 (a) as below:

“Further, MEIS applications for Shipping bills with Let Export date from 01.04.2019 to 31.03.2020 can be submitted without any late cut upto 30.09.2021. However any such application submitted after 30.09.2021, the last date for submitting applications shall be as per para 3.15 (a) (i) above and late cut applied accordingly. “

**Effect of this Public Notice :** A relaxation in the late cut provisions have been provided for Shipping bill (s) of the period 01.04.2019 to 31.03.2020, so that if such shipping bills are submitted on or before 30.09.2021, for an MEIS claim, no late cut would be applicable.

AMIT YADAV, Director General of Foreign Trade  
& Ex-Officio Addl. Secy.